(251)

निग्रा० - 3213/2018/सतना/भू-राज

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट

कोर्ट रीवा

निगरानी प्रकरण क्रमांक

रामकिशोर पिता श्री वुद्धसेनप्रजापति उम्र वर्ष पेशा खेती निवासी

ग्राम वड्खुरा, वृत्त लकरगवा, तहसील उचेहरा, जिला सतना म०प्र०

------------ आवेदक

वनाम

राजस्व निरीक्षक महोदय वृत्त लकरगवा, तहसील उचेहरा, जिला

सतना म०प्र० ------------ आवेदक

अधि० श्री महेन्द्र अग्निहोत्री द्वारा पेश 25-5-18

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् मु अधीक्षक

सतना के.के1अ12/2017-17 मे पारित आदेश

दिनांक 3-2-18 ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मु राजस्व

संहिता सन 1959ई०।

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैकि आवेदक द्वारा अपने स्वत्व व आधिपत्य की भूमि खसरा क्रमांक 584, 585, 3981, 587 592 एवम 592 का सीमांकन कराये जाने बावत आवेदनपत्र मु अधीक्षक महोदय सतना के न्यायालय मे लोक गारन्टी सेवा योजना के तहत आवेदनपत्र दिया, जहां पर श्रीमान अधीक्षक महोदय मु अभिलेख सतना द्वारा एक टीम गठित कर उपरोक्त आराजियात के बावत सीमांकन हेतु प्रकरण क्रमांक 1अ12/2017-18

रामकिशोर प्रजापति

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक क्रमांक R–3213/18/सतना/भू–रा0 जिला–सतना

राम किशोर प्रजापति/ राजस्व निरीक्षक लगरगवां

(1)	(2)	(3)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी भू–अधीक्षक, भू–अभिलेख सतना के प्रकरण क्रमांक 1/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 03.02.18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 20.02.19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	